न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक

कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :- अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः-34 / 2021 निर्णय दिनांकः- 03-08-2021

1 श्रीमती मीना पत्नि रमेशगिरी गोस्वामी जाति गोस्वामी उम्र 43 वर्ष निवासी चाडोली तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88 ,188 व 209 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी</u>

अधिवक्ता वादीः- बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः- अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया गांव चाडोली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान की स्थायी निवासी है। वादीया के कब्जे काश्त की उसके नाम आवंटीत ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादीया का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादीया ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की खसरा नम्बर 925 रकबा 3.11 बीघा हाल जमाबंदी में राज्य सरकार के खाते में दर्ज अंकित है। जिस पर वादीया ने उसके नाम आवंटन को लेकर की गई प्रकिया के आवेदन पत्र की नकल निकलवाई तो पता चला की प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में आवेदन में वादीया ने ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा का अंकन किया गया था। जिसके पश्चात राजस्व अधिकारीयों द्वारा जारी किए गए कृषिभुमि आवंटन पत्र की जांच करने पर पता लगा की राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीया को जारी आवंटन पत्र में ग्राम चाडोली खसरा नम्बर 825 रकबा 3.11 बीघा का गलत अंकन कर दिया गया है। जिस पर वादीया ने आवंटन पत्र के आधार पर खोले नामान्तरण संख्या 1445 की नकल निकलवाई तो पता चला की नामान्तण में भी ग्राम चाडोली खसरा नम्बर 825 रकबा 3.11 बीघा को अंकित कर दिया गया है। जबकि ग्राम चाडोली खसरा नम्बर 825 रकबा 0. 1133 हैक्टेयर खातेदार रमणलाल पिता भुरजी पाटीदार के नाम दर्ज अंकित है।

कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

ऐसे में वादीया द्वारा आवंटन आवेदन में ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा का अंकन करने के बाद भी राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भुलवंश ग्राम चाडोली खसरा नम्बर 825 रकबा 3.11 बीघा का अंकन कर दिया गया है।ऐसे में वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी ने अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।
प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादीया को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा से बेदखल न करे। वादीया का नाम दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार की ओर जांच रिपोर्ट पत्र भेजा गया। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि वादीया पटवार मंडल चाडोली के राजस्व गांव चाडोली की स्थायी निवासी है। वादीया वर्तमान में ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादीया का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा का आवंटन हुआ है। पटवार मंडल चाडोली मौजा चाडोली के खसरा नम्बर 925 किता 1 रकबा 3.11 बीघा भुमि का प्रशासन गांवों के संग अभियान में वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड अंकन करते समय भुलवंश खसरा नम्बर 925 कि जगह खसरा नम्बर 825 दर्ज हो गया। वादी द्वारा वर्तमान में खसरा नम्बर 925 कब्जा है व उक्त भुमि पर वादी वर्तमान में काश्त कर रही है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 825 की जगह 925 किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 825 गलत अंकित कर दिया गया है। ऐसे में 825 की जगह 925 दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें वादीया के कब्जे काश्त की आंवटित खातेदारी आराजी ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 825 की जगह 925 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 825 की जगह 925 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 9-8-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री मानादेवी बनाम श्री मान तहसीलदार

वादबाबतः– वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम, 136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरीः–श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

ग्राम चाडोली में खसरा नम्बर 925 खेत किता 1 कुल रकबा 3.11 बीघा होकर स्थित है। वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 825 की जगह 925 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक [illegible] को जारी की गई

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी

ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
थमजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा